

न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 75/2023

अजय चौधरी बनाम स्टेट आफ यू.पी. और अन्य

दिनांक: 11-03-2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित।

डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र 12 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनूप शहर खंड गंगनहर मेरठ का भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ केन्ट स्थित खाता संख्या C-2542, ट्रेजरी कोड नंबर 4815 को कुर्क कर अवार्ड धनराशि अंकन 89,70,276/- रुपये का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान कराया जाये।

निर्णीतक्रणीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध मौखिक आपत्ति करते हुए यह अभिकथन किया है कि विभाग को सूचित करने हेतु उन्हें एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाये।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-2025 को यह आदेश पारित किया गया था कि "निर्णीतक्रणीगण को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्टे करने का आदेश यदि कोई हो, तो उसे दाखिल करे। यदि अगली तिथि पर निर्णीतक्रणीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्टे करने का कोई आदेश दाखिल नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कुर्की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी," किन्तु निर्णीतक्रणीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद की कार्यवाही को स्टे किये जाने का कोई भी आदेश दाखिल नहीं किया गया है और पुनः एक सप्ताह का समय विभाग को सूचित करने हेतु मांगा गया है।

चूँकि पत्रावली पर कोई भी स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णीतक्रणीगण द्वारा दाखिल नहीं किया गया है, परन्तु निर्णीतक्रणीगण के अधिवक्ता की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कुर्की वारण्ट आज की तिथि से एक सप्ताह बाद जारी किया जाये। निर्णीतक्रणी अनूप शहर खंड गंग नहर मेरठ का भारतीय स्टेट बैंक शाखा- मेरठ केन्ट मेरठ में स्थित खाता संख्या C-2542, ट्रेजरी कोड नंबर 4815 को कुर्क करने हेतु अमीन को नियमानुसार परवानी जारी हो। इस निमित्त डिक्रीदार आवश्यक पैरवी करे।

पत्रावली दिनांक 17-04-2026 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1,

मेरठ।